मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,

58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

अपील क्रमाँक ए–175 / रासूआ / 06 / 26 / भोपाल / 06

श्री हरपालसिंह चंदेल, अपीलकर्ता
चंदेल एस.टी.डी. सेंटर
कटंगी बस स्टेण्ड के पास,
मेन रोड, तहसील पाटन,
जिला– जबलपुर, मध्यप्रदेश

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री, लोक सूचना अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
जबलपुर मण्डल, जबलपुर

आदेश

(दिनांक 19 जून, 2006)

श्री हरपालसिंह चंदेल ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र दिनांक 29.11.05 को कार्यपालन यंत्री एवं लोक सूचना अधिकारी –लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उप खण्ड –जबलपुर में प्रस्तुत किया था और इस आवेदन पत्र के संबंध में निर्धारित शुल्क दिनांक 30.11.2005 को जमा किया :–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री के अधीनस्थ केंद्रीय भण्डार जबलपुर (उपखण्डों) के भण्डार की स्थिति प्रदर्शित करने वाला दिनांक 1.4.2005 से प्रत्येक माह

की दिनांक 30 को स्थिति दर्शाने वाला माह अप्रैल,मई,जून,जुलाई,अगस्त,सितंबर,अक्टूबर और नवंबर तक का पत्रक ।

2. लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री के अधीनस्थ समस्त उपखण्डों के एम.ए.एस. दिनांक 1.4.2005 से 30.11.2005 तक ।

3. दिनांक 1.10.2005 से 30.11.2005 तक चारों उपखण्डों को प्रदाय किए गए साख पत्रों की छायाप्रति ।

2. लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को दिनांक 16.12.05 को यह सूचित किया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड जबलपुर के भण्डार की मासिक स्थिति प्रदर्शित करने वाला कोई भी पत्रक प्रतिमाह खण्ड को पाप्त नहीं होता है । इसी प्रकार उप यंत्रियों के एम.ए.एस. के मूल रिकार्ड उप खण्ड में रहते हैं जिसकी जानकारी आवेदक संबंधित कार्यालय में आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं । चारों उपखण्डों के साख पत्रों के संबंध में अपीलकर्ता को 42/– रूपये का शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए ।

3. इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने एक अपील अधीक्षण यंत्री एवं अपील अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर को दि0 22.12.05 को प्रस्तुत की थी । इस अपील पर अधीक्षण यंत्री एवं अपीलीय अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिए थे कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाए । उन्होंने यह बात मानी थी कि एम.ए.एस. का मूल रिकार्ड उपखण्डों पर उपलब्ध रहता है,लेकिन उप खण्ड अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं, अतः उनसे प्राप्त करके प्रदान किया जाए ।

4. साख पत्रों के संबंध में जानकारी अपीलकर्ता को प्राप्त हो चुकी है । शेष दो बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अपीलकर्ता ने यह अपील प्रस्तुत की है । इस विषय पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से अपील के बिंदुओं पर प्रतिवेदन मांगा गया था, लेकिन इन दोनों अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

5. यह अपील सुनवाई के लिए दिनांक 15 जून 2006 को जबलपुर में रखी गई थी । नियमित लोक सूचना अधिकारी प्रशिक्षण में गए हुए थे इसलिए उपस्थित नहीं हुए । प्रभारी लोक सूचना अधिकारी श्री जी.पी.कोली,सहायक यंत्री उपस्थित हुए । अपील के बिंदुओं पर अपलीकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी को सुना गया । अपीलकर्ता का यह कहना है कि भण्डार के संबंध में उपखण्डों से नियमित रूप से महीने में एकाउंट्स आते हैं इसलिए यह जानकारी उन्हें खण्ड कार्यालय से मिल सकती है । उनका यह कहना है कि अधीक्षण यंत्री ने ही अपने आदेश में लोक सूचना अधिकारी को यह जानकारी देने के लिए निर्देशित किया है फिर भी उन्हें यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । इसके विपरीत प्रभारी लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि यह जानकारी कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है, लेकिन उप खण्डों से जो मंथली एकाउंट आता है, उसमें इसका स्टेटमेंट रहता है । लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिए गए कि वह उप खण्ड अधिकारियों से मासिक एकाउंट के जो पत्रक आते हैं,उनमें जो भण्डार के संबंध में पत्रक आता है,उसकी प्रति अप्रैल से नवंबर 2005 तक के महीनों की उन्हें प्रदान की जाए । इस जानकारी को प्रदान करने में

निर्धारित समय–सीमा से अधिक समय हो गया है इसलिए जानकारी उन्हें बिना शुल्क प्रदान की जाए ।

6. दूसरा बिंदु अप्रैल से मई माह तक के एम.ए.एस. के एकाउंट के संबंध में है । यह जानकारी उप खण्ड कार्यालयों में संधारित की जाती है और यह बात अधीक्षण यंत्री एवं अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश मे स्पष्ट रूप से कही है । सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन उसी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए जिस कार्यालय में जानकारी संधारित है । यदि अपीलकर्ता चारों उपखण्डों की जानकारी चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह चारों उपखण्डों में अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें और आवेदन प्रस्तुत करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

7. उपरोक्त बिंदुओं के साथ ही इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
19 जून

2006